



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

हवामहल के पास, बडीचौपड़, जयपुर, राजस्थान-302002



कार्यालय :- एफ-6 ()राजस्व प्रथम शाखा/जननी/हैरिटेज/2024

५१२

दिनांक: ०७/११/२५

**Authorized Signatory,
Indus Tower Limited,
D-34, Subhash Marg, G-Business Park,
3rd Floor, C-Scheme, Jaipur- 302001**

विषय:- **GBM** मोबाईल टॉवर साईटों की सार्वजनिक विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तावित **GBM** मोबाईल साईट जो नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में स्थापित है जो निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Site ID	Long/Lat.	Address
1	IN-3248960	26.95531 75.80641	ROAD SIDE CORNER OPP RAJIV ASHRAY YOJNA, SANJAY NAGAR BHATTA BASTI, WARD NO.6, JAIPUR.

उक्त प्रस्तावित स्थल की सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर उक्त की प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को प्रेषित करे।

(निधि सिंह)

R.A.S

उपायुक्त (राजस्व प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

1. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त संलग्न मोबाईल साईटों की सार्वजनिक विज्ञप्ति को नगर निगम जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. सुरक्षित पत्रावली।

॥
उपायुक्त (राजस्व प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
हवामहल के पास, बडी चौपड़, जयपुर, राजस्थान-302002



कार्यालय :- एफ-6 ()राजस्व प्रथम शाखा /जननी / हैरिटेज / 2024 / 413

दिनांक: 07/11/24

Authorized Signatory,
Indus Tower Limited,
D-34, Subhash Marg, G-Business Park,
3rd Floor, C-Scheme, Jaipur- 302001

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **Indus Tower Limited** द्वारा नगर निगम जयपुर की सीमा के अन्तर्गत नवीन मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। जिसका विवरण अधोलिखित है।

Sr. No.	Site ID	Long/Lat.	Address
1	IN-3248960	26.95531 75.80641	ROAD SIDE CORNER OPP RAJIV ASHRAY YOJNA, SANJAY NAGAR BHATTA BASTI, WARD NO.6, JAIPUR.

अतः उक्त स्थान पर मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु किसी संस्था, व्यक्ति या अन्य किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो आपत्ति कारण एवं दस्तावेजों सहित आपत्ति 07 दिवस में निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।

(निधि सिंह)

R.A.S
उपायुक्त (राजस्व प्रथम)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज